न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

15 / 2015
29.06.2015

पत्रावली संख्याः–
प्रविष्टि दिनांकः–

1.जगदीश उर्फ केदार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी खुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2.सोभाग पुत्र रिद्वकरण जाति जाट निवासी खुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0। ....आवेदकगण

बनाम

1.शंकर पुत्र कालू जाति मोग्या निवासी कुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2.पांचू पुत्र कालू जाति मोग्या निवासी कुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
3.किस्तूर मल पुत्र कालू जाति मोग्या निवासी कुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
4.पप्पु पुत्र कालू जाति मोग्या निवासी कुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
5.रूपा बेवा कालू जाति मोग्या निवासी कुवाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
6.उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व एवं भू–सुधार अभियान नवम्बर, 1975 .... अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवण्टन नियम 1970

उपस्थित :(1) श्री शिवराज चांगल, अभिभाषक आवेदकगण

दिनांक 26.05.2017

निर्णय

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि भू आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व एवं भू सुधार अभियान नवम्बर 1975 ने अपने आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1975 के द्वारा आराजी साबिक खसरा नंबर 441 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 2738 रकबा 1.2100 हेक्टेयर वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह व भूमि खसरा नंबर 441 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग का आवंटन प्रतिपक्षीगण के पिता कालू पुत्र बलूता जाति मोग्या निवासी कुहाडाबुजुर्ग के हक में पारित किया गया है उक्त आवण्टन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

2. प्रार्थीगण ने सबूत दस्तावेजों में आवेदन आवंटन, सुपुर्दनामा, ट्रेस नक्शा, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2024–2028, नकल जमाबंदी खाता संख्या 546 सम्वत 2068–71, मिला क्षेत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–30, 2040–46, खसरा गिरदावरी 2015,2026,2028–29 एवं 2013 से 2014 प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की जरिए नोटिस तलबी की गई। किन्तु विपक्षीगण के नोटिस उनके वहां नहीं रहने के कारण अदम तामील प्राप्त हुए जिस पर तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 की जाने पर भी इसी तरह अदम तामील प्राप्त नहीं हुए तत्पश्चात अखबार में प्रकाशन करवाने के उपरान्त भी प्रतिपक्षीगण सं0 1ता5 उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की जाकर अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटनशुदा भूमि जिस पर पूर्व से ही भूमि ख0नं0 441 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 2738 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग पर काफी वर्षो से आवेदकगण के पिता का तथा आवेदकगण के पिता के फौत होने के पश्चात अब तक आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है और आवेदक की कृषि भूमि के अडवां स्थित होकर स्ट्रीफ ऑफ लेण्ड की स्थिति में होने से और आवेदकगण के पिता व दादा तथा उनके पश्चात आवेदकगण का कब्जा काफी समय से होने से आवेदकगण द्वारा आवेदन करने के बावजूद गलत रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिये चुपचाप गलत रूप से आवंटन किया है। आवंटन कागजी है, आवंटन तिथी से लेकर आज दिनांक तक अलाटी का न तो मौके पर कब्जा रहा है और न ही उसने आवंटन शर्तो की पालना की है, वर्तमान में आवेदकगण ने ही ज्वार की फसल काश्त कर रखी है, कालू पुत्र बलूता नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम कुहाडाखुर्द में निवास नहीं करता है तथा ना ही अनावेदकगण जो कि मृतक के वारिसान है, निवास करते है, आवंटी मोग्या जाति से है जो घुम्मकड जाति है, एक स्थान पर निवास नहीं करते है। आवंटन से पूर्व ना तो कोई आंवटन योग्य भूमि का प्रोक्लोमेशन जारी किया और ना ही सार्वजनिक स्थल पर आवंटन बाबत नोटिस ही चस्पा किया गया। आवंटन नियमों के अनुसार जिस जगह भूमि स्थित है उसके पास के भूमिधारक को भूमि का आवंटन किया जाता है जिसके आवेदकगण हकदार थे, अन्य नहीं। भूमि खसरा नंबर 441 पूर्व में गै.मु. नाडी थी जिसका अंकन नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2024 से 2028 है, उक्त गै0मु0 नाडी को गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन कर दर्ज उक्त गै.मु. नाडी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया, उक्त परिवर्तन बिना किसी विधिक आदेश के किया है, उक्त आवंटन विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जावे।

5. हमनें अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस को सुना, उस पर मनन किया तथा आवण्टन पत्रावली एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानर्पूवक अवलोकन किया। भू आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व एवं भू सुधार अभियान नवम्बर 1975 ने अपने आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1975 के द्वारा आराजी साबिक खसरा नंबर 441 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 2738 रकबा 1.2100 हेक्टेयर वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह व भूमि खसरा नंबर 441 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग का आवंटन प्रतिपक्षीगण के पिता कालू पुत्र बलूता जाति मोग्या निवासी कुहाडाबुजुर्ग के हक में पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–23, 2026 से 2030 सम्वत 2040 से 2047 व अन्य में उक्त भूमि गै0मु0 नाडी दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी सम्वत 2068–71 में यह पेटा 2 दर्ज थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

इससे यह भी सिद्व होता है कि उक्त भूमि आवंटन से पूर्व गै0मु0 नाडी व आवंटन के समय भी गै0मु0 नाडी ही थी फिर भी भूमि का आवंटन कर दिया गया। चुंकि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है जिसका आवण्टन नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि की किस्म भी गै0मु0 नाडी दर्ज होने से आवण्टन योग्य नहीं थी। साथ ही आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा आवण्टित भूमि पर काश्त न कर आवण्टन शर्तो का उल्लघंन भी किया है। अतः विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पिता कालू पुत्र बलूता जाति मोग्या निवासी कुहाडाबुजुर्ग को किया गया आवण्टन निरस्त किया जाना न्यायालय उचित पाता है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पिता कालू पुत्र बलूता जाति मोग्या निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह को विवादित भूमि खसरा नंबर 441 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह का दिनांक 07.11.1975 को किया गया आवण्टन निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0।